देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/72 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 1 मई 2021

भाग-1

नए वित्त वर्ष के चालू होते ही जे.डी.ए. के ज़ोन-7 में खुल जाती है कई आवासीय भूखंडो पर शराब की दुकाने!!!

अमूमन शहर की हर प्रमुख गली,नुक्कड़,चौराहों पर आपने शराब की दुकाने देखी होगी और शायद आप में से कई लोगो ने इन दुकानों के कारण होने वाली दहशत,परेशानियों को भुगता भी होगा,या अभी भी भुगत रहे होंगे|क्यूंकि इनमे से अधिकतर दुकाने आवासीय कोलोनियों में संचालित है,जो आम लोगो के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है,आवासीय कोलोनियों में होने से इस दुकानों पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है,जिसके कारण आये दिन लड़ाई झगडे और महिलाओं,बच्चों से छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती है,आये दिन पुलिस की दबिश होती है जिससे आमजन सहमा रहता है|

सबसे गंभीर बात यह है कि शहर में चलने वाली अधिकतर शराब की दुकाने आवासीय भूखंडों/मकानों में संचालित है जो कि अवैध है और राज. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इन्हें सील/ध्वस्त करना जरुरी है परन्तु लगता है कि इसके विरुद्ध कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार बेपरवाह है|ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को इसका पता नहीं है,यह जिम्मेदार अधिकारी कई बार इन दुकानों के सामने से निकल जाते है या इन दुकानों से सेवायें ले लेते होंगे परन्तु उनके मन में इन दुकानों को सील/ध्वस्त करने का ना तो कोई विचार आता है और ना भविष्य में इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए गंभीरता दिखाते है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

मोटे किराए के लालच में दे देते है किराए के लिए

सामाजिक दबावों एवं लोक लाज के कारण सामान्य व्यक्ति अपनी प्रोपर्टी को शराब की दूकान के लिए किराए पर नहीं देते है,इस कारण भू माफिया और असामाजिक तत्व ही इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते है|जिस कारण इन दुकानों का किराया 70 हजार से 150000 रूपये महीना तक है|

आबकारी के नियमों के अनुसार शराब की दूकान का व्यावसायिक होना आवश्यक नहीं|

आबकारी विभाग के नियमों में इन दुकानों के लिए व्यावसायिक दुकान होने की अनिवार्यता नहीं होने से,वह इन दुकानों के लिए आवासीय क्षेत्र में भी अनुमति प्रदान कर देते है जिस कारण इन लोकेशन पर शराब की दूकान लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है|जे.डी.ए. में शिकायत करने पर वहां के अधिकारी मैनेज कर लिए जाते है|

लेकिन जे.डी.ए. नियमों के अनुसार बिना अनुमति आवासीय परिसरों में व्यवसायिक गतिविधियों गैरकानूनी

आप को बता दें कि भले ही आबकारी नियमों में सम्बंधित दूकान के व्यवसायिक होने की शर्त नहीं है परन्तु जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार बिना अनुमति आवासीय परिसरों में व्यवसायिक गतिविधियाँ गैरकानूनी मानी गयी है और बाकायदा ऐसे परिसरों को अवैध माना है और जे.डी.ए. को ऐसे परिसरों को सील करने और ध्वस्त करने तक के अधिकार दिए गए है|लेकिन प्राय देखा गया है कि जे.डी.ए. के अधिकारी ऐसी अवैध दुकानों पर कोई कार्यवाही नहीं करते|

कार्यवाही नहीं होने से तेजी से बढ़ रही है आवासीय पर व्यावसायिक गतिविधियाँ|

जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से अवैध निर्माण कर,आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण करने वालो की हिम्मत दिनोंदिन बढती जा रही है,यहाँ तक की सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां भी शराब के ठेके बना लिए गये है|

जे.डी.ए. के जोन-7 में भरी पड़ी है आवासीय भूखंडों पर शराब की दुकाने

यदि हम जे.डी.ए. के जोन-7 में ही नजर दौडाएं तो यहाँ पर करीब 15-20 शराब की दुकाने संचालित है जिसमे से कई दुकानों की लोकेशन नयी दुकानों पर शिफ्ट होती है|देखने में आया है कि इनमे से अधिकतर दूकाने आवासीय भूखंडों/मकानों में संचालित है|जो कि आम जन की परेशानी का सबब बनी हुई है|स्थानीय निवासियों द्वारा इन दुकानों की कई बार शिकायत भी की गयी परन्तु इन शराब लायिसेंसियों के रसुखातों के चलते इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी|इन अवैध दुकानों से जहाँ आबकारी विभाग को तो राजस्व मिल जाता है लेकिन वही दूसरी और जे.डी.ए. इन दुकानों के भू-उपयोग और नक़्शे पास करवाने से होने वाले राजस्व से वंचित रह जाता है|आपको बताते है कि चालू वित्तीय वर्ष में ज़ोन-7 में कितनी नयी दुकानों का निर्माण कर शराब की दुकाने खोली गयी है|

भूखंड संख्या A-3 हनुमान नगर खातीपुरा रोड

भूखंड संख्या B-1,2 हनुमान नगर सिरसी रोड

भूखंड संख्या 175,वैभव नगर,200 फिट बाईपास रोड,वैशालीनगर

भूखंड संख्या B-1/3 चित्रकूट योजना,गाँधी पथ